न्यायालय, भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, कोडरमा।

विविध अपील वाद संख्या–11/2024

प्रसंगः–अभिषेक **सिंह** बनाम **राज्य एवं अर्जुन सिंह वगैरह्**

आदेश

प्रस्तुत वाद में अपीलार्थी अभिषेक सिंह पिता–स्व० दिलीप सिंह, ग्राम–गुमो, झुमरीतिलैया, थाना–तिलैया, जिला–कोडरमा के द्वारा मौजा–लोधनी के खाता नं0–05, रकवा–2.63 एकड़ जमीन की ऑनलाईन पंजी–II में सुधार कर रैयत काली सिंह के उपरोक्त लगान रसीदें रद्द कर उसके जगह रैयत दुर्गा सिंह के नाम दर्ज करने हेतु अपील वाद दायर किया गया है।

अपीलार्थी की ओर से प्राप्त अपील आवेदन पर उभय पक्षों को नोटिस निर्गत कर कारण पृच्छा एवं भूमि से संबंधित कागजात की मांग की गई। उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्ता उपस्थित हुए।

सुनवाई के दरम्यान दिनांक–11.06.2025 को प्रथम पक्ष के विद्वान अधिवक्ता उपस्थित हुए और बताया गया कि उक्त मामला मौजा–लोधनी के थाना संख्या– अन्तर्गत खाता नं0–5, पुराना प्लॉट नं0–58/221, नया प्लॉट नं0–59, रकवा–1.43एकड़, प्लॉट नं0–62, रकवा–47डी०, प्लॉट नं0–64, रकवा–21डी०, प्लॉट नं0–65, रकवा–50डी० कुल रकवा–2.63एकड़ से संबंधित है। आवेदक के परदादा दुर्गा सिंह को निबंधित कबुलियत से प्राप्त है, जिसका निबंधित दस्तावेज संख्या–67/1927 है। वर्ष 1927 ई० से लेकर अभी इनके वंशज का दखल है। जिनका अंचल कार्यालय से रसीद वर्ष 1977–78 तक निर्गत है। इनके परदादा के मृत्यु के पश्चात् इनके लडका जगदीश सिंह एवं बिन्देश्वर सिंह का दखल–कब्जा रहा है। जगदीश सिंह के मृत्यु पश्चात् सुरेन्द्र सिंह एवं अरूण सिंह इस जमीन विधिक प्रतिनिधि हुए। अरूण सिंह के मृत्यु पश्चात् मैजर अभिषेक कुमार सिंह जो बिन्देश्वर सिंह का पोता है।

उक्त खाता, प्लॉट एवं रकवा पर विपक्षी सरोज सिंह पंजी–II में उपरोक्त खाता प्लॉट की जमीन जमाबन्दी करा लिए, जिसका भोलुम नं0–1, पेज नं0–32 है। भोलुम नं0–5, पृष्ठ संख्या–28 में दुर्गा सिंह का जमाबन्दी चल रहा है।

खाता नं0–5, पुराना प्लॉट नं0–58/221, नया प्लॉट नं0–59, रकवा–1.43एकड़, प्लॉट नं0–62, रकवा–47डी०, प्लॉट नं0–64, रकवा–21डी०, प्लॉट नं0–65, रकवा–50डी० कुल रकवा–2.63एकड़ अपने परदादा काली सिंह के नाम से विपक्षी सरोज कुमार सिंह ने करवा लिया। ऑफलाईन पंजी–II में जमाबन्दी है। जमाबन्दी में कोई सक्षम पदाधिकारी का साईन/आदेश नहीं है। उक्त जमाबन्दी का जानकारी होने

पर बिन्देश्वर सिंह पिता–स्व0 दुर्गा सिंह के आदेश पर अंचल कार्यालय में विविध वाद संख्या–79/2022–23 चला। इस वाद में पाया कि विपक्षी के पास कुल–6 रसीद निर्गत है। जिसमें रसीद संख्या–372949 वर्ष 1997–98 का प्रस्तुत किए जो कि हल्का–9 से संबंधित है। रसीद संख्या–514683 जो 92–93 में निर्गत है जो हल्का–2 से संबंधित है। तीसरा रसीद संख्या–576127 वर्ष 90–91 में निर्गत है जो हल्का–3 से संबंधित है। रसीद संख्या–213760 जो वर्ष 88–89 में निर्गत है जो हल्का–2 में आता है। रसीद संख्या–218883 जो वर्ष 1972–73 में निर्गत है। भंडार पंजी जीर्ण–शीर्ण के कारण मिलान संभव नहीं है। रसीद संख्या–879778 जो वर्ष 1963–64 में निर्गत है। भंडार पंजी जीर्ण–शीर्ण के कारण मिलान संभव नहीं है।

उक्त भू–खण्ड हल्का–2 में आता है। रसीद संख्या–372949 एवं 576127 हल्का–2 से संबंधित नहीं है। विविध वाद संख्या–79/2022–23 में इनकी जमाबन्दी का सन्देहात्मक बतलाया गया है। जमाबन्दी खुलने का आधार में खुशकी केवाला है। खुशकी केवाला को India Registration Act Section-17 में Unregister Document माना है। जमाबन्दी में कोई भी सक्षम पदाधिकारी का आदेश नहीं है। दुर्गा सिंह के नाम से दो रसीद निर्गत है। पहला रसीद संख्या–745708 वर्ष 73 से 78 एवं दुसरा रसीद संख्या–28883 वर्ष 68 से 73 तक।

एक ओर विपक्षी का बताना है कि उक्त जमीन हमें पारिवारिक बंटवारा द्वारा प्राप्त है। परन्तु कोई साक्ष्य नहीं है। दूसरी ओर बोलते हैं खुशकी केवाला से प्राप्त है जो अपने आप में सन्देहात्मक है।

सुनवाई के दरम्यान दिनांक–11.06.2025 को द्वितीय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता उपस्थित हुए और बताया गया कि किस आदेश के विरूद्ध अपील किए है। यह सुनवाई योग्य नहीं है। किसी कोर्ट का आदेश है अपील फाईल करने का। यह केश न अपील है न ही रिवीजन है इसलिए लीगल रूप से मैंटेबूल नहीं है। इन्होने ने अपने आवेदन के पंज नं0–5 पर वंशावली दिए हैं, जिसमें चौथे पीढ़ी के अभिषेक सिंह है। अभिषेक सिंह किसी मुकदमा में थे जो अपील किए है। विविध वाद संख्या–79/2022–23 में निस्कर्ष यह कि मामला स्वामित्व का है उभय पक्ष सक्षम न्यायालय जा सकते है। अंचल में आवेदन देनेवाले अविनाश कुमार पिता–स्व0 अरूण कुमार सिंह, बिन्देश्वर सिंह पिता–स्व0 दुर्गा सिंह, सुरेन्द्र सिंह पिता–स्व0 जगदीश सिंह एवं गायत्री सिंह पति–स्व0 अरूण कुमार सिंह। इन लोगों में से कोई भी अपील दायर नहीं किए। इस लिए यह अपील खारिज योग्य है।

इसी खाता, प्लॉट का अविनाश कुमार ने उपायुक्त न्यायालय में 43/2023 दायर किए है वहाँ भी 17.10.2023 को समाप्त हो गया है।

आवेदक अभिषेक सिंह ने पार्टी बनाया है राजदेव सिंह और अर्जुन सिंह को परन्तु बहस सरोज कुमार सिंह पर कर रहा है जो पार्टी भी नहीं है। अभिषेक सिंह को अपील लाने का अधिकार नहीं है चूँकि ये कही भी पक्षकार नहीं है। उपायुक्त कार्यालय कोडरमा के जनशिकायत कोषांग के पत्रांक–568/ज०शि०को० दिनांक–17.07.2023 के द्वारा उक्त मामला हक–हकियत का है बताकर बन्द कर दिया है।

दुर्गा सिंह के नाम से कोई भी जमाबन्दी नहीं है। पुरानी जमाबन्दी अगर होगा तो भोलुम–1 में आएगा भोलुम–5 में नहीं आएगा। मेरा रसीद अद्यतन है। हल्का–2 का जो दो रसीद निर्गत है वह मामला मेरे से संबंधित है। चूँकि हमे रसीद कर्मचारी ए वही लिए।

प्रथम पक्ष काली सिंह के जमाबन्दी को हटाकर दुर्गा सिंह का जमाबन्दी कायम करना चाहते है। लोंग जमाबन्दी रद्द नहीं किया जा सकता है। विविध वाद संख्या–43/23 में हक–हकियत की बात की गई है। उक्त वाद चलने योग्य नहीं है।

उपरोक्त तथ्यों के अवलोकन के पश्चात् यह बात सामने आया कि–
आवेदक अभिषेक सिंह के परदादा दुर्गा सिंह पिता–जयराम सिंह को निबंधित डीड दस्तावेज संख्या–67/1927 से मौजा–लोधनी (जयनगर अंचल) अन्तर्गत खाता नं0–5, पुराना प्लॉट नं0–58/221, नया प्लॉट नं0–59, रकवा–1.45एकड़, प्लॉट नं0–62, रकवा–47डी०, प्लॉट नं0–64, रकवा–21डी०, प्लॉट नं0–65, रकवा–50डी० कुल रकवा–2.63एकड़ खरीदे है। प्रथम पक्ष ने कुछ रसीद प्रस्तुत किए है जो दुर्गा सिंह के नाम से है। अंचल अधिकारी, जयनगर के ज्ञापांक–207 दिनांक–22.07.2010 के अनुसार रसीद संख्या–288835 (1972–73) और रसीद संख्या–745708 (1977–78) हल्का दो से संबंधित है एवं दो अन्य रसीद संख्या–227369 (1956–57) एवं 879778 (1963–64) जीर्ण–शीर्ण बताया है। (अंचल अधिकारी, जयनगर के प्रासंगिक पत्र संलग्न है।)

दुसरी ओर विपक्षी द्वारा एक खुशकी केवाला संलग्न किया है जिसमें दिनांक–07.04.1935 लिखा हुआ है। खुशकी केवाला अपठनीय है। काली सिंह के नाम से जमाबन्दी पंजी–2 के भाग–1, भोलुम–32 में चल रहा है। जिसमें खाता नं0–5, प्लॉट नं0–00, रकवा–2.63 का उल्लेख है। राजस्व दस्तावेज अन्तर्गत विपक्षी द्वारा 5 मैनूअल लगान रसीद प्रस्तुत किए है, जो इस प्रकार है :–

वर्ष	लगान रसीद संख्या
1. 1963–64	879778
2. 1972–73	28883
3. 1987–88	745932
4. 1988–89	213760

5. 1990–91 570127
6. 1992–93 514683
7. 1997–98 372949

अंचल अधिकारी के विविध वाद संख्या–79/2022–23 उक्त भू–खण्ड पर प्रथम पक्ष के सुरेन्द्र सिंह वगैरह् का दखल है। और सीमेंट का पीलर गड़ा हुआ है। प्लॉट नं0–58 में चौहद्दी का पूर्ण मेल नहीं हो पा रहा है। घरेलू बंटवारा का चर्चा किया है। राजदेव सिंह का कहना है कि उक्त भू–खण्ड जिसका रकवा–2.63एकड़ है। दुर्गा सिंह ने काली सिंह को हस्तांतरित कर दिया था। द्वितीय पक्ष का कहना है कि घरेलू बंटवारा से प्राप्त है परन्तु कोई प्रमाण नहीं दिया। काली सिंह ने जमाबन्दी में सक्षम पदाधिकारी का आदेश दर्ज नहीं है। काली सिंह के जमाबन्दी को सन्देहात्मक माना। मौजा–लोधनी के खाता संख्या–05 में दूसरे रैयत का सेल डीड संख्या–5352 दिनांक–04.12.2012 एवं डीड नं0–3490 दिनांक–03.07.2013 में अपनी चौहद्दी में दुर्गा सिंह का नाम बताया है।

उपरोक्त तथ्यों एवं अभिलेख में संलग्न दस्तावेजों के अवलोकन के उपरान्त मैं यह निस्कर्ष पर पहुँचा कि–

1. दुर्गा सिंह के नाम से निबंधित कबुलियत संख्या–67/1927 से उक्त भू–खण्ड प्राप्त है। उक्त निबंधित कबुलियत दस्तावेत का निबंधन ऑफिस हजारीबाग से सत्यापित है।
2. दुर्गा सिंह के नाम से दो रसीद हल्का–2 से है जिसका सत्यापन अंचल अधिकारी, जयनगर के अपने पत्रांक–207 दिनांक–22.07.2010 को सत्यापित किया है। पहला रसीद संख्या–288835 वर्ष 1972–73 और दूसरा रसीद संख्या–745708 वर्ष 1977–78 का है।
3. अंचल अधिकारी, चन्दवारा के विविध वाद संख्या–79/2022–23 में दखल–कब्जा दुर्गा सिंह के वंशज का बताया है।
4. अंचल अधिकारी के समक्ष बयान में द्वितीय पक्ष का कहना है कि हमें घरेलू बंटवारा से प्राप्त है परन्तु प्रमाण नहीं दिया।
5. काली सिंह के जमाबन्दी में कोई सक्षम अधिकारी का आदेश दर्ज नहीं है। प्रस्तुत 5 ऑफलाईन लगान की रसीद में वित्तीय वर्ष 1987–88 (रसीद संख्या–745932) जिसे जयनगर अंचल ने पत्रांक–719 दिनांक–15.12.2022 में किसी भी राजस्व उपनिरीक्षक को निर्गत नहीं बताया है। इसके अलावे द्वितीय पक्ष के लगान रसीद वित्तीय वर्ष और 1992–93 रसीद संख्या–514683 ही हल्का 2 से सबंधित है। बाकी हल्का–3 एवं हल्का–9 से संबंधित है। इस प्रकार सन्देह उत्पन्न होता है।

6. विपक्षी खुशकी केवाला एवं घरेलू बंटवारा दोनों बात कहता है।
7. खुशकी केवाला वर्ष 1935 का है परन्तु प्रथम सत्यापित रसीद वर्ष 1987–88 का प्रस्तुत किये है। जिसे जयनगर अंचल ने पत्रांक–719 दिनांक–15.12.2022 में किसी भी राजस्व उपनिरीक्षक को निर्गत नहीं बताया है।
8. काली सिंह के जमाबन्दी को अंचल अधिकारी चन्दवारा ने अपने विविध वाद में सन्देहात्मक बताया है।

राजस्व दस्तावेज एवं दोनों पक्षों के बहस उपरान्त पाया कि काली सिंह का जमाबन्दी फर्जी प्रतीत होता है चूँकि जमाबन्दी में न किसी सक्षम अधिकारी का आदेश दर्ज है और न ही वर्तमान में दखल है। प्रस्तुत कुछ ऑफलाईन रसीद हल्का–2 से संबंधित भी नहीं है। अंचलाधिकारी ने जमाबन्दी को सन्देहात्मक बताया है।

अतः उपरोक्त तथ्यों के आधार पर पंजी–2 के भाग–1, भोलुम–32 में काली सिंह के नाम से कायम जमाबन्दी को रद्द किया जाता है। इस आदेश की प्रति अंचल अधिकारी, चन्दवारा को अनुपालनार्थ प्रेषित। अभिलेख की कार्रवाई समाप्त की जाती है। अस्तुष्ट पक्ष चाहें तो सक्षम न्यायालय जा सकतें है।

लेखापित एवं संशोधित।

भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता,
कोडरमा।

11/6/25

भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता,
कोडरमा।

Digitally signed by localhost
Date: 2025.09.08 17:44:43 +05:30
Location: 10.93.45.135